राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट में संदर्भित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

क्र.सं.	सिफारिश	की गई कार्रवाई
पृष्ठ सं. 63-64	**1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वसन की योजना** माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पोछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वितीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने के कारण आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।	व्यय वित्त समिति ने दिनांक 19.10.2010 को आयोजित अपनी बैठक में इस स्कीम को 11वीं योजनावधि में 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शत-प्रतिशत केंद्रीय निधियन के साथ केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में चलाए जाने की सिफारिश की थी । वित्त मंत्रालय ने भी पूर्ण योजना आयोग के अनुमोदन की शर्त पर इस स्कीम के लिए वित्त मंत्री की सहमति प्रदान की । योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि यह स्कीम अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में चलाई जाएगी । राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने की कार्यविधियां योजना आयोग के परामर्श से तैयार की जा रही हैं ।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गए:

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम

	न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। 25 जुलाई, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशों के अनुसार स्कीम का प्रारूप फिर से तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय को भेजा गया है ।	
पृष्ठ सं. 64	2. **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनः**	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर इस प्रयोजनार्थ गठित अंतरमंत्रालयी समूह ने विचार किया, जिसके आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 जैसे अन्य अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए, उनमें परिवर्तन करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से विधेयक का प्रारुप तैयार किया गया । संशोधन विधेयक का प्रारुप दिनांक 28.02.2011 को सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को परिचालित किया गया ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो सकें । प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है ।
पृष्ठ सं. 69-70	4. **शिमला, जिला हिमाचल प प्रदेभा में अकेली रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : ऐसी महिलाओं की संख्या ज्ञात करना और उनकी प मुख समस्याओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना –प्रियंका भारद्वाज द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम**	
	(i) आरक्षण सूचकांक में अकेली रह रही महिलाओं के पृथक यूनिट स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो यह है कि उन्हें मान्यता प्राप्त होगी और दूसरी यह कि इससे उन्हें राशन कार्डो, बिजली बिलों, पानी के बिलों में सरकार से वित्तीय छूट प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।	सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई स्कीमें/कार्यक्रम चलाती है, जिनके लाभ अकेली रहने वाली महिलाएं भी उन स्कीमों में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने पर प्राप्त कर सकती हैं ।
	(ii) एक लोकप्रिय सुझाव है कि इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए; इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा	यह मुद्दा 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल के समक्ष सुझावों हेतु रखा जा रहा है ।

	सकता है। इन महिलाओं को प्रतिमाह लगभग 800/– रुपए की सहायता प्रदान की जा सकती है जिससे वे कारगर ढंग से अपना जीवनयापन कर सकती हैं क्योंकि यह राशि उनके लिए एक अतिरिक्त सहायता के रूप में होगी। (iii) अंतिम समाधान के रूप में किंतु यह समाधान भी पूर्णतः पर्याप्त नहीं हो सकता, यह उल्लेख किया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र एक अत्यधिक जटिल व नाजुक क्षेत्र है, जहां कोई एक या कोई अनेक कानूनों को बनाकर समस्याओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण समाज की ओर से सजग प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इन महिलाओं को अपने आसपास की जीवनशैली की प्रारूपिक नकारात्मक परंपरागत मनस्थिति से बाहर निकलकर जीवनयापन करने के लिए शिक्षित किया जाए। यह कार्य वास्तव में आसान नहीं है, फिर भी "आज की महिलाएं और उनका परिवर्तित हो रहा जीवन" विषय पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित करके इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। इससे वे समाज का बिना किसी हीन भावना के मुकाबला करने में सक्षम होंगी और इस प्रकार उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।	 राष्ट्रीय महिला आयोग ने अलग से सूचित किया है कि उन्होंने अकेली रहने वाली महिलाओं के अधिकारों के संबंध में उठाई गई कुछ मांगे अपनी वेबसाइट पर डालते हुए इन पर टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं । कार्यदल और राष्ट्रीय महिला आयोग, दोनों के सुझाव प्राप्त हो जाने के बाद इस विषय में विचार किया जाएगा ।
पृष्ठ सं. 71-72	**6. उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति : धारी विकास ब्लॉक का एक तुलनात्मक अध्ययन – एक्टिविस्ट ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमेनिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम** (i) महिलाओं के लिए परिवार और समाज में समानता की स्थिति स्थापित करना अनिवार्य है, इस प्रयोजनार्थ जागरूकता सृजन के जरिए समुदाय की सोच में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। (ii) बालिका शिक्षा को महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। (iii) महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता का	 महिलाओं का सशक्तीकरण सरकार का मिशन है । महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण राष्ट्रीय महिला शक्ति-संपन्नता नीति, 2001 के प्रमुख लक्ष्य हैं । किंतु, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक नज़रिए, लंबे समय से चली आ रही सामाजिक प्रथाओं और महिलाओं के विषय में जन मानस में गहरी पैठ बना चुकी सामाजिक धारणाओं जैसी कई

	स्तर काफी कम पाया गया। अतः समय-समय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। (iv) ग्राम स्तर पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। (v) महिलाओं को अपने क्रियाकलापों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। (vi) लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा आदि जैसी बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता है। (vii) महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण और समाज में समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। कुटुम्ब की संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। (viii) महिलाओं की अवधारणाओं में परिवर्तन हेतु स्व-सहायता समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हो।	बाधाओं को दूर करना होगा । नोडल मंत्रालय होने के नाते महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई उपाय किए हैं । इन उपायों में संरक्षणात्मक और अनुकूल कानून, नीतियां, स्कीमें/कार्यकम तथा समर्थन अभियान शामिल है । सभी भागीदार मंत्रालयों/ विभागों की स्कीमों और कार्यक्रमों के बीच समन्वयन और संकेन्द्रण को मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्थापित किया गया है ।
पृष्ठ सं. 64-65	**मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबध में बिहार के 5 जिलों – पटना, नालंदा, खगड़िया, सहरसा और रोहतास में चुनिंदा गांवों में अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, पटना द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन ।** (i) चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में नीतिगत स्तर पर निर्णय किए जाने चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों का वेतन और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वे उनके लिए आकर्षक हों और वे वहां कार्य करने के प्रति अनिच्छुक न हों ।	बिहार के 5 जिलों अर्थात पटना, नालंदा, खगारिया, सहरसा और रोहतास में चुंनिदा गांवों में अनुसंधान अध्ययन का विषय मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर था । इसका आयोजन अंबपाली हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, पटना द्वारा किया गया । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों की वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्यवन रिपोर्ट में निहित दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को प्रोत्साहन एवं सुविधा देने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव को समर्थन दिया गया । डॉक्टरों की नियुक्ति को शीघ्रता से

		पूरा करने हेतु भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राज्यों से भी अनुरोध किया गया है ।
	(ii) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को नियुक्त करने के संबंधा में एक नीति तैयार की जानी चाहिए ।	गुणवत्तापूर्ण देखरेख सेवा मुहैया कराने के लिए (बुनियादी स्तर पर सेवा प्रदाताओं) सहायक परिचारिका मिडवाइव्स के लिए कुशल प्रसव परिचारिका प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी प्रशिक्षित एएनएम को प्रसव के अधिक मामलों के भार वाले सुविधा केंद्रों में तैनात किया जाना चाहिए जहां वे सीखे हुए कौशल का अधिकाधिक उपयोग कर सकती हैं ।
	(iii) बिहार में रह रहे समुदायों द्वारा शिशुओं को आहार उपलब्ध कराने के संदर्भ में उनके बीच विकसित अभिवृत्ति का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है ताकि बिहार में माताओं द्वारा अपने शिशुओं को स्तनपान कराने से झिझकने के पीछे के कारणों को समझा जा सके ।	प्रसवपूर्व देखरेख परामर्श के दौरान शीघ्र स्तनपान शुरु कराना, 6 माह तक केवल स्तनपान कराना और कोई अतिरिक्त आहार शिशु को न दिए जाने पर जोर दिया गया ।
	(iv) केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों, स्थानीय सेवाओं, एनआरएचएम आदि के कार्यकरण के संबंध में निरंतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिए ।	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पोपुलेशन सांइस, मुंबई द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का समवर्ती मूल्यांकन किया गया । इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की समीक्षा करने हेतु वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन शुरु किया गया । राज्य की दरें जिनमें मंत्रियों के वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विकास भागीदारों के प्रतिनिधि और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि होते हैं । इसके अतिरिक्त वित्तीय मानीटरन रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राज्य के साथ समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा बैठक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है ।

	(v) इन निष्कर्षों के आधार पर छोटी स्थानीय एजेंसियों/स्वैच्छिक संगठनों के जरिए समुदाय को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने और उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं । इससे स्थानीय संगठनों द्वारा भी अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने में सहायता प्राप्त हो सकती है ।	क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ढांचे में आयोजना तथा मानीटरन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का पहले से ही प्रावधान है । आर के एस और ग्राम स्वस्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य देखरेख प्रदायगी में समुदायों के लिए अस्थानीय पंचायती राज संस्था भी शामिल है ।
पृष्ठ सं. 64	**बिंदु सं. 3 – घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010** आयोग इस बात की पुरजोर सिफारिभा करता है कि घरेलू कर्मचारियों के कल्याण के लिए और उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाए । व्यापक विचार–विमर्भा के पश्चात् "घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010" शीर्षक से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे विचारार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है	विनियमक तंत्र और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के संदर्भ में घरेलू कामगारों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नीतिगत ढांचा विकसित करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है । इस कार्यबल ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कल्याणकारी स्कीमों का विस्तार करने की सिफारिश की गई है जैसाकि स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, मृत्यु तथा अक्षमता लाभ आदि ; घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, श्रम विभाग द्वारा घरेलू कामगारों का पंजीकरण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारत करना, नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण, राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करना और घरेलू कामगारों के लिए कैशल तथा पुनः कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है । कार्यबल की रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :- (क) आरएसबीवाई को घरेलू कामगारों के लिए विस्तारित करना । (ख) घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम दें और मजदूरी निर्धारित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने क लिए राज्य सरकारों से कहा गया है । (ग) घरेलू कामगार मुहैया कराने वाली नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण करने हेतु

		राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है ।
पृष्ठ सं. 68-69	**बिंदु सं. 3 – उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले मे पंचायतों में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में किया गया अध्ययन (ब्लॉक-वार सर्वेक्षण पर आधारित) - जलगांव समिति सजगौरी, गांव सजगौरी, पीओ देवली खेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम** (i) निरक्षर लोगों या प्राथमिक स्कूल के स्तर से कम स्तर तक पढ़े-लिखे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाए । (ii) राजनीति में आने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए । (iii) सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए । इसे नियमित आधार पर भी चलाया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जैसेकि नियम और विनियम, प्रशासनिक मुद्दे, बजटिंग और वित्त तथा विकास स्कीमों का कार्यान्वयन आदि । (iv) महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें अधिक मात्रा में मानदेय दिया जाए । (v) नीतिगत स्तर पर महिला की अध्यक्षता वाले पंचायतों और वार्डों के लिए सीटों के रोटेशन की प्रणाली बंद कर दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हो सके । (vi) न केवल महिलाओं का अधिकाधिक प्रतिशत में राजनीति में प्रतिनिधित्व बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए बल्कि राजनीति में बने रहने के लिए उनके सक्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए	 पंचायती राज संस्थाओं का गठन और कार्यकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शासित होता है । पंचायती राज के किसी भी स्तर पर चुने जाने या उसमें कोई पद धारण करने हेतु किसी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने संबंधी मामले पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है । पंचायती राज संस्था में चयनित महिला प्रतिनिधियों के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कराया गया अध्ययन दर्शाता है कि चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन के साथ कम शिक्षा का स्तर होने का कोई सह-संबंध नहीं है, यह केवल माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर ही महत्वपूर्ण होता है । यह संदेहास्पद है कि शिक्षा के उच्चतर स्तर संवैधानिक वैधता के परीक्षण में खरा उतरेगा । यह वांछनीयता हो सकता है परंतु सरकार के उपायों में अभियोज्य नहीं है । राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चुने गए प्रतिनिधियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, इनमें पंचायती राज संस्थाओं की चुनी गई महिला प्रतिनिधि भी शामिल होती हैं । यह प्रशिक्षण विभिन्न पहलुओं पर दिया जाता है, जिसमें कार्यक्रमों/स्कीमों का क्रियान्वयन, बजटिंग, लेखा, प्रशासनिक मामले आदि शामिल है ।

		जैसाकि उपर्युक्त अध्ययन दर्शाता है प्रशिक्षण का कार्य निष्पादन से सकारात्मक सह-संबंध है । इस कार्यक्रम में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अवसर मिलता है । इसके अलावा पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान के अंतर्गत चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों और चुने हुए युवा प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए संचेतना कार्यक्रम चलाया जाता है । मानदेय एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना अपेक्षित है । बारी-बारी से एक सीट पर महिला एवं पुरूष के चुने जाने संबंधी मुद्दों पर राज्य निर्णय लेते हैं । एक ही सीट पर बारी-बारी से महिला-पुरूष के न चुने जाने अलग निहितार्थ है, जैसे आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पुरूषों को अवसर नहीं मिलता है । चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों का राजनीति में बने रहना अधिक संभव है यदि पहले के कार्यकाल में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों ने पंचायतों में अधिक रूचि दिखाई है । सरकार क्षमता विकास के माध्यम से इस दिशा में सहायता कर सकती है । पीएमईवाईएसए के अंतर्गत ईडब्ल्यूआर संघ को पहले से ही समर्थन दिया जाता है ।
पृष्ठ सं. 67-68	**बिंदु सं. 2 – उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु अनुसंधान अध्ययन – सद्ज्योतिका, अपर्णा नगर, चौलियागंज, पी ओ नया बाजार, कटक (उड़ीसा) द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम** (i) सामान्यतः जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख विकासात्मक सूचकों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए तथा इस संबंध में प्राप्त फीडबैक	• **आईटीडीए के अंतर्गत परियोजनाएं** विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जनजातीय मामले मंत्रालय निम्नलिखित के लिए निधियां जारी करता है (i) एससीए से टीएसपी और

	से संबंधित एजेंसियों को सूचित किया जाना चाहिए । (ii) आईटीडीए स्तर पर क्षेत्र-विशिष्ट और जनजातीय-विशिष्ट बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए तथा जनजातीय महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय आबादी के समेकित विकास हेतु उनका प्रयोग किया जाना चाहिए । (iii) महिलाओं के विकास को बाधित करने का प्रमुख कारण महिलाओं में साक्षरता दर का कम होना है । महिलाओं में विकास की गति को त्वरित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं उदाहरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयसृजन स्कीम, स्वास्थ्य सुविधा, पोषाहार सेवाएं आदि से युक्तस पूर्णतः सुसज्जित शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराई जानी चाहिए । (iv) और अधिक संख्या में जनजातीय महिला लाभभोगियों को आकर्षित करने के लिए इस स्कीम के संवर्धन और क्रियान्वयन हेतु इसमें अधिकाधिक अनुभवी और सक्षम शैक्षणिक संगठनों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । (v) सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषकर रोजगार और आयसृजन पर केंद्रित कार्यक्रमों के बारे में जनजातीय महिलाओं को जानकारी उपलब्ध न होना उन कार्यक्रमों में उनकी कम भागीदारी होने का कारण है । गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तरस पर स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को लक्षित जनजातीय महिला समूहों के बीच जागरूकता सृजन और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए । (vi) अल्पकालिक तकनीकी कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आय सृजन स्कीमों से जोड़ा जाना चाहिए । (vii) स्व-सहायता समूहों को आजीविका के विविध	(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत दोनों कार्यक्रमों के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान । राज्य सरकार समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रमों/समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों को निधियों का आबंटन करती है । विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त निधियों से राज्य/केंद्रीय सरकार के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के लिए आईटीडीपी/आईटीडीए का भी क्रियान्वयन किया जाता है । • **एससीए से टीएसपी के अंतर्गत आयोत्पादक क्रियाकलाप** प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य योजना के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आश्रित आय सृजन कार्यकलापों हेतु निधियन किया जाता है । राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव सामान्यतः कृषि, बागवानी, जलसंभर कार्यक्रमों, बाजारों से संपर्क, आय सृजन हेतु प्रशिक्षण आदि से संबंधित होते हैं । उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत 30% लाभार्थी महिलाएं हों । • इसी तरह के मंत्रालयों के कार्यक्रम जनजातीय उपयोजना कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ देश में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियां आवंटन किए जाने की परिकल्पना है । 2011-12 के बाद जनजातीय उप योजना के प्रयोजन से योजना आयोग ने मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण किया है । जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अलग से आयोजना निधियों के

	साधन उपलब्ध होने चाहिए । उनके आवश्यक कौशल को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनके परंपरागत कौशल को आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जा सके । (viii) इन निर्धन जनजातीय महिलाओं की सफलता उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले सूक्ष्म ऋण की सुविधा पर निर्भर करती है । अतः यह आवश्यक है कि जनजातीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कृषि, पशुपालन, जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा और वन आधारित क्रियाकलापों के लिए ऋण आबंटित करने के संबंध में अधिक सुदृढ़ और विस्तारित दृष्टिकोण अपनाया जाए । (ix) जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आवधिक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । जनजातीय विकास एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के सहयोग से सचल स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए । (x) स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और महिला समूहों को जनजातीय समुदाय में रोग के कारणों, विभिन्न रोगों के निवारक उपायों, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, व्यक्तिगत साफ-सफाई, स्वच्छता आदि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और शैक्षिक अभियान चलाने हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए । सुरक्षित पेय जल को उपयोग में लाने और स्वच्छता को अपनाने की आदत विकसित की जानी चाहिए । महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत साफ-सफाई और स्वच्छता आदि की स्थिति मे सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक आईईसी कार्यनीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता है । (xi) जनजातीय माताओं में काफी अधिक निरक्षरता पाई गई है । जनजातीय माताओं को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और साफ-सफाई आदि पर ध्यान दे सकें । जनजातीय माताओं के लिए पेय जल के शुद्धिकरण, व्यक्तिगत साफ-सफाई, डायरिया से	लिए कुल 27 मंत्रालयों/विभागों की पहचान की गई है । जनजातियों के हित में स्वैच्छिक आधार पर जनजातीय उप योजना के अंतर्गत आबंटन प्रदान करने हेतु प्रयास करने के लिए योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है । शुरू की गई नई नीति की प्रगति के संबंध में टिप्पणियां 2011-12 के अंत में ही प्राप्त हो सकेगा ।

	ग्रसित हो जाने की स्थिति में ओआरएस की आवश्यकता, स्वयं और नवजात शिशु दोनों के लिए टीकाकरण आदि के संबंध में जागरूक होना आवश्यक है । (xii) जनजातीयसय महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर आवधिक रूप से अल्पकालिक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का प्रभावी रूप में वहन कर सकें ।	